आयुक्त/अध्यक्ष

प्राधिकरण द्वारा सरकुलेशन के माध्यम से निम्नलिखित तीन प्रस्ताव शासन/प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में नामित सदस्यों को अनुमोदन हेतु भेजा गया था ।

1- मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण के क्षेत्र में ले-आउट प्लान तथा भवन-मानचित्रों की स्वीकृति हेतु हरितमा शुल्क/इको फण्ड आरोपित किये जाने के अनुमोदन के सम्बन्ध में ।

2- प्राधिकरण द्वारा विकसित कालोनियों/क्षेत्रों में अनुरक्षण शुल्क के आरोपण के सम्बन्ध में ।

3- उ0प्र0 शासन के असाधारण गजट संख्या 469/सत्रह-नि0-1 (क) 3/1997 दिनांक 02-5-97 के उपबन्ध 33 के 4-ए के प्राविधान के अनुसार ।

उपरोक्त तीनों प्रस्तावों पर शासन/बैठक में नामित सदस्यों द्वारा अपनी सहमति प्रदान की गयी । सहमति उपरान्त उक्त तीनों प्रस्तावों की कार्यवृत्त तैयार कर दांयी ओर संलग्न कर दी गयी है ।

पत्रावली अवलोकनोपरान्त अनुमोदनार्थ प्रस्तुत ।

(signature)

उपाध्यक्ष
(signature)

1- विषय:- मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण के क्षेत्र में ले-आउट प्लान तथा भवन-मानचित्रों की स्वीकृति हेतु हरितमा शुल्क/इको फण्ड आरोपित किये जाने के अनुमोदन के सम्बन्ध में ।

सरकुलेशन के माध्यम से प्रस्ताव पर माननीय निम्नांकित सदस्यों को अनुमोदन प्राप्त हुआ है ।

1- अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, देहरादून ।
2- जिलाधिकारी, देहरादून ।
3- महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, देहरादून ।
4- उपनिदेशक, पर्यटन विभाग पटेलनगर, देहरादून ।
5- मुख्य वन संरक्षक (गढवाल) उ0प्र0, देहरादून ।
6- सचिव, आवास, उ0प्र0 शासन लखनऊ द्वारा अपने पत्रांक 171/पीएसएच एस/97 दिनांक 06 अगस्त, 1997 द्वारा निम्नांकित संशोधनों/शर्तों के साथ अपनी सहमति दी गयी है ।

1- ले-आउट प्लान स्वीकृति के सम्बन्ध में कुल क्षेत्र के 40 प्रतिशत क्षेत्र फल में रुपये 10/- प्रतिवर्गमीटर की दर से इको फण्ड आरोपित किया जाय ।

2- आवासीय भवन मानचित्रों पर भूखण्ड के क्षेत्रफल पर निम्न स्लैब रेट के अनुसार आरोपित किया जाय ।

(क) 100 वर्गमीटर तक- शून्य
(ख) 250 वर्गमीटर तक रुपये 7/- प्रतिवर्गमीटर
(ग) 250 वर्गमीटर से अधिक रुपये 10/- प्रतिवर्गमीटर की दर से ।

3- सभी प्रकार के अनावासीय भवनों के मानचित्रों पर भी रुपये 10/- प्रतिवर्गमीटर की दर से इको फण्ड आरोपित किये जाने पर सहमत हूं ।

4- उक्त फण्ड के लिए एक अलग से खाता खोला जायेगा तथा प्राप्त होने वाली धनराशि इसी खाते में सीधे भुगतान की जायेगी जिससे इस मद हेतु लिए जाने वाली धनराशि प्राधिकरण के सामान्य खाते में किसी भी समय न जा पाये । इस खाते से धनराशि केवल प्राधिकरण बोर्ड द्वारा स्वीकृत पर्यावरण से सम्बन्धित परियोजनाओं के लिए अध्यक्ष की अनुमति से आहरित की जा सकेगी । किसी भी अन्य कार्य के लिए किन्हीं भी परिस्थितियों में आहरण किया जाना अत्यन्ता गम्भीर कदाशय का कार्य होगा और इसके लिए उपाध्यक्ष एंव सचिव व्यक्तिगत रुप से उत्तरदायी होगें ।

इस तरह उक्त प्रस्ताव संख्या -1 शासन की उपरोक्त शर्तों के अधीन अनुमोदित किया गया है ।

क्रमशः:------2

2- विषय:- प्राधिकरण द्वारा विकसित कालोनियों/क्षेत्रों में अनुरक्षण शुल्क के आरोपण के सम्बन्ध में ।

सरकुलेशन के माध्यम से उक्त प्रस्ताव पर निम्नांकित माननीय सदस्यों द्वारा सहमति प्राप्त हुई है ।

1- अध्यक्ष, नगरपालिका परिषद, देहरादून ।
2- जिलाधिकारी, देहरादून ।
3- मुख्य वन संरक्षक (गढवाल) उ0प्र0, देहरादून ।
4- उपनिदेशक, पर्यटन विभाग, देहरादून ।
5- महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, देहरादून ।
6- सचिव, आवास, उ0प्र0शासन, लखनऊ द्वारा निम्नांकित संशोधनों/शर्तों के साथ अपनी सहमति प्रदान की गयी है ।

1- दुर्बल आय वर्ग के भवन पर रुपये 100/- प्रतिवर्ष से अधिक ।
2- अल्प आय वर्ग के भवन पर रुपये 300/- प्रतिवर्ष से अधिक ।
3- एम0आई0जी0 के भवन पर रुपये 600/- प्रतिवर्ष से अधिक ।
4- एच0आई0जी0 के भवन पर रुपये 1000/- प्रतिवर्ष से अधिक ।

भूखण्ड :-

1- दुर्बल आयवर्ग के भूखण्ड 80 (अस्सी) वर्ग मीटर पर 100/- प्रतिवर्ष से अधिक ।
2- अल्प आय वर्ग के भूखण्ड 120 वर्गमीटर पर 120/ प्रतिवर्ष से अधिक ।
3- एम0आई0जी0 वर्ग के भूखण्ड 200 वर्गमीटर पर रुपये 600/- प्रतिवर्ष से अधिक ।
4- एचआईजी वर्ग के भूखण्ड 200 वर्गमीटर से अधिक पर रुपये 1000/- प्रतिवर्ष से अधिक ।

अतएव शासन के उपरोक्त संशोधन के अधीन प्रस्ताव संख्या -2 अनुमोदित किया गया है ।

3- विषय:-उ0प्र0शासन के असाधारण गजट संख्या 469/सत्रह-नि0-1(क)3/1997 दिनांक 02-5-97 के उपबन्ध 33 के 4-ए के प्राविधान के अनुसार ।

सरकुलेशन के माध्यम से प्रस्ताव पर माननीय निम्नांकित सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त हुआ ।

1- जिलाधिकारी, देहरादून ।
2- मुख्य वन संरक्षक (गढवाल) उ0प्र0, देहरादून ।
3- महाप्रबन्धक, जिलाउद्योग केन्द्र, देहरादून ।
4- उपनिदेशक, पर्यटन विभाग, देहरादून ।
5- अध्यक्ष, नगरपालिका परिषद, देहरादून ।
6- सचिव, आवास, उ0प्र0शासन, लखनऊ द्वारा अपने पत्र दिनांक 02-8-97 के अनुसार

क्रमशः:----3

प्रस्ताव संख्या-3 को सर्वसम्मत से अनुमोदित किया गया है ।

उपाध्यक्ष,
मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून ।

आयुक्त/अध्यक्ष,
मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून ।